

Government of India
Ministry of Statistics & Programme Implementation
National Sample Survey Organisation
(Field Operations Division)
Madhya-Pradesh (West) Region

B - Block, 1st Floor, Sanjay Complex, Jayendra Ganj, Laskar Gwalior - 474 009

G-20011/फर्नीचर/MPW/2013-14/

Date: - 16/07/2014

महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अंतर्गत उपक्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यालय हेतु फर्नीचर कय करने (जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है) हेतु आपसे कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

| क.स. | विवरण | संख्या |
|------|--|--------|
| 1 | Officer chairs ,Iron pipe with cushion | 06 |
| 2 | Table :Size 3 X 2.5 X 2.5 feet wooden top , iron frame with drawer | 02 |

1. कुटेशन अपने Letter Head पर जिसमें आपका TIN एवं बैंक खाता संख्या तथ टेलीफोन न. व पता अंकित हो, सील बन्द लिफाफे में जिस पर बड़े अक्षरों में **(Quotations for Supply of Furniture)** लिखा हों, अघोहस्ताक्षरी के पास दिनांक 31.07.2014 समय 5 बजे तक पंजीकृत डाक से प्रेषित करें। दिनांक 31.07.2014 के बाद प्राप्त कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. कुटेशन में वैट (VAT)/विक्री कर आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो अन्यथा कोट किये गये मूल्यों को ही अंतिम मान लिया जायेगा।
3. सप्लाई आदेश प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर माल की सप्लाई प्रभारी बरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, 20 एच.एक्स.एच.आई.जी., लक्ष्मीनगर उज्जैन म.प्र. पर करनी होगी अन्यथा सप्लाई आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आपके द्वारा किया गया माल का भुगतान इस कार्यालय द्वारा गुणवत्ता की जांच के उपरान्त e-payment द्वारा किया जायेगा। आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये माल की गुणवत्ता सतोष जनक नहीं पाई गयी तो आपका भुगतान रोक दिया जायेगा एवं सही गुणवत्ता वाला माल उपलब्ध कराने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
5. किसी भी प्रकार के वाद का निपटारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं इसका क्षेत्र अधिकार ग्वालियर होगा।
6. इस कार्यालय को कोई भी कुटेशन विना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी को होगा।
7. प्राप्त की गयी कुटेशन को दिनांक 01.08.2014 समय 4:00 बजे कार्यालय में खोला जायेगा जिस दौरान आप अथवा आपका कोई प्रतिनिधि उपरोक्त तिथि को कार्यालय में उपस्थित हो सकता है। यदि आपका प्रतिनिधि उपरोक्त दिनांक को कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो कुटेशन खोलने की प्रक्रिया स्थागित नहीं की जायेगी।
8. आपको कुटेशन के साथ में इस तथ्य का प्रमाण पत्र देना होगा कि आपकी एजेन्सी को कभी भी किसी भी शासकीय कार्यालय द्वारा Black listed नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अथवा झूठा पाया जाने पर आपके द्वारा दिया गया कुटेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

 16/07/14

प्रभात फाटक

अधीक्षण अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख